प्रेस विज्ञप्ति

19.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) के जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दमन स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में अभियोग दायर किया है।

दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत लोक सेवक द्वारा 04.10.2005 से 05.10.2015 की अवधि के दौरान ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के संदिग्ध अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। बाद में, सीबीआई ने केतन पटेल के खिलाफ ज्ञात आय स्रोतों से अधिक 3.77 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने के आरोप में चार्जशीट दायर की।

जांच से पता चला कि केतन पटेल ने दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) के जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए (2005 से 2015 तक) भ्रष्टाचार की रकम प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप उनके बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा हुए और उनके बैंक खातों में फर्जी प्रविष्टियां भी हुईं। जांच के दौरान यह पता चला कि अधिकांश नकद जमा/ऋण केतन पटेल द्वारा होटल में ठहरने, खरीदारी आदि के लिए इस्तेमाल किए गए थे और केतन पटेल ने उपरोक्त आवास संबंधी प्रविष्टियों को 'ऋण' के रूप में समझाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने कभी चुकाया नहीं, जिससे ईडी की जांच को बल मिला कि उक्त राशि भ्रष्टाचार से प्राप्त हुई थी।

इस मामले में, ईडी ने पहले केतन पटेल से संबंधित मुंबई में वाणिज्यिक इकाइयों/दुकानों, एक भूखंड और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3.77 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच करने का एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया था।
